

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072024-255487 CG-DL-E-17072024-255487

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2024/आषाढ 25, 1946 No. 376] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2024/ASHADHA 25, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 413(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 406 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निधि नियम, 2014 का और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निधि (संशोधन) नियम, 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. निधि नियम, 2014 के, नियम 4 के, उप-नियम (5) में, निम्नलिखित परंतक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"परंतु यह कि कोई कंपनी अपने नाम में "निधि लिमिटेड" शब्दों का प्रयोग तब तक नहीं करेगी जब तक कि इसे अधिनियम की धारा 406 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में घोषित नहीं कर दिया जाता है।"

[फा.सं. 5/62/2023-सीएल.-VII-एमसीए]

मनोज पाण्डेय, अपर सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 258(अ) तारीख 2 अप्रैल, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए, तत्पश्चात् क्रमशः अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 467(अ) तारीख 1 जुलाई, 2019 द्वारा संशोधित किए गए, तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.िन.114(अ) तारीख 14 फरवरी, 2020 द्वारा संशोधित किए गए, तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 301(अ) तारीख 19 अप्रैल, 2022 द्वारा और संशोधित किए गए और अधिसूचना संख्या सा.का.िन.35(अ) तारीख 20 जनवरी, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

4301 GI/2024 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2024

- **G.S.R. 413(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 406 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Nidhi Rules, 2014, namely:-
- 1 (1) These rules may be called the Nidhi (Amendment) Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Nidhi Rules, 2014, in rule 4, in sub-rule (5,) the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that a company shall not use the words "Nidhi Limited" in its name unless it is declared as such under sub-section (1) of section 406 of the Act."

[F. No. 5/62/2023-CL-VII-MCA]

MANOJ PANDEY, Addl. Secv.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 258(E), dated the 2nd April, 2014, subsequently amended vide notification number G.S.R. 467(E) dated the 1st July, 2019, subsequently amended vide notification number G.S.R. 114(E) dated the14th February, 2020, further amended, vide notification number G.S.R. 301(E) dated the19th April, 2022 and were last amended, vide notification number G.S.R. 35 (E) dated the 20th January, 2023.